

तारीख
हुक्म

09.02.2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख अहकाम जो
इस हुक्म की तामील में
जारी हुए

पत्रावली पेश हुई।

वादी के वकील उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम धीरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 216 रकबा 07.2843 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क. स	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	रंग
1	जगाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी मांगी खातेदार	216	0.2428	
	योग	1	0.2428	पीला
2	अजाराम हि0 4552/70415 बाबूराम हि0 4552/70415 मानाराम हि0 4552/70415 पि0 कूपाराम, श्रीमती सुआ पत्नी कूपाराम हि0 4552/70415, दरगाराम पुत्र नरसाराम हि0 18212/70415, सकाराम पुत्र नरसाराम हि0 15783/70415, हरिराम हि0 18212/492905, मोहनलाल हि0 18212/492905, रतनाराम हि0 18212/492905, निम्बाराम हि0 18212/492905, पि0 गिरधारीराम, उकी देवी हि0 18212/492905, प्यारी देवी हि0 18212/492905 पुत्रीयां गिरधारीराम, श्रीमती भुरी देवी पत्नी गिरधारीराम हि0 18212/492905 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार रहन बाबूराम मानाराम एवं सुआदेवी का हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कृषि विकास शाखा सिवाना	216	07.0415	
	योग	1	07.0415	लाल

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को सरे इजलास सुनधा गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

